Telephone :- 2223251,
2225766,2224812

Fax-0612-2225977
Tele Gram: ACCOUNTS

सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक : GN : 181020220103359 GEN No : 1621/2022-2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषय : अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी (भा0प्र0से0, भा0पु0से0 एवं भा0व0से0) एवं पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 38% की दर से महँगाई भत्ता का भुगतान करने के संबंध में।

प्रसंग : वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं0-1/3/2022-E-II (B), दिनांक- 03.10.2022.

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं0-1/3/2022-E-II (B), दिनांक- 03.10.2022 के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से मूल वेतन का महँगाई भत्ते की दर 34% से बढ़ाकर 38% की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

उपर्युक्त आदेश के आलोक में अनुरोध है कि राज्य अवस्थित सभी कोषागारों को अपने स्तर से निर्देश देने की कृपा की जाय कि राज्य सरकार के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत सभी पदाधिकारीयों (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी) तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के माननीय न्यायाधीशों को दिनांक - 01.07.2022 के प्रभाव से मूल वेतन का 38% की दर से महँगाई भत्ते का भुगतान किया जाय । इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को अलग से वेतन पुर्जा प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी ।

कृपया इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय ।

अनु०- यथोपरि।

भवदीय,

वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना |

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 [illegible], माननीय उच्च न्यायालय, पटना ।
2 [illegible], सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार [illegible] ।
3 [illegible] गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, [illegible] ।
4 [illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, [illegible] ।

वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना |